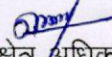


परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से
इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

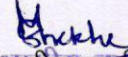
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168 / 2009-एफ.सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

————संलग्न है————


वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत
वन क्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत (वज्युला)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर प्रभाग
बागेश्वर

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के बागेश्वर में स्याली से इडिया-मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने प्रभावित होने वाली 1.763 है0 वन भूमि के दुगुने 3.526 है0 में वनीकरण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना। वर्ष 2019-20

- परियोजना का नाम- स्याली से इडिया-मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण।
- पौधारोपण स्थल का नाम- ग्रामतहसील जिला बागेश्वर
- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या -
- रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आंवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, कवैराल, भीमल, रीठा आदि।

सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 3.526 है0
3.526 x 1100 = 3879 पौधे

वर्ष 2019-20

क.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	3.526	97.00	342.02
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	3.526	584.00	2059.18
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है0 को आधार मानकर)	3.526	7750.00	27326.50
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है0 84 घ0मी0 औसत	296.18	315.00	93297.96
5	गड़दा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	3879	7.33	28430.14
6	निरीक्षण बटिया	3.526	485.00	1710.11
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	3879	5.89	22844.95
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
1	1- प्रथम चरण का योग			176410.87
1	गड़दा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	3879	1.15	4460.39
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	3879	1.15	4460.39
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	3879	6.39	24784.25
4	पौधारोपण व थावलबंदी	3879	2.06	7989.92
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	3879	0.76	2947.74
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	3879	0.21	18.96
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है0 पर)।	3.526	4768.00	16811.97
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	400.00	1410.40
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
11	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	3.526	LS	700.00
2	2- द्वितीय चरण का योग			66316.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
3	3- तृतीय चरण का योग			29043.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	2543.86
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
4	4- चतुर्थ चरण का योग			30494.46
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	200.00	705.20
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	150.00	528.90
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20

5	5- पंचम चरण का योग			28250.31
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
6	6- षष्ठम चरण का योग			29043.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
7	7- सप्तम चरण का योग			29043.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
8	8- अष्टम चरण का योग			29043.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
9	9- नवम चरण का योग			29043.66
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.526	7152.00	25217.95
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.526	350.00	1234.10
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.526	225.00	793.35
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.526	310.00	1093.06
	ब- प्रोत्साहन	3.526	200.00	705.20
10	10- दशम चरण का योग			29043.66
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			475734.28
	(चार लाख पित्तहत्तर हजार सात सौ चौतीस रुपये मात्र)		अर्थात् रु0	475734.00

वनक्षेत्र अधिकारी
गढ़खेत
वन क्षेत्राधिकारी
गढ़खेत (वज्युला)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर प्रभाग
बागेश्वर